

01/05/2024

## शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. जीवाश्म ईंधन नहीं, बल्कि सूक्ष्मजीव सबसे अधिक नई मीथेन उत्पन्न करते हैं: अध्ययन ( GS PAPER III: पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
2. कंपकंपी से गर्मी पैदा होती है जो आपको गर्म रखती है ( GS PAPER III: मूल विज्ञान)
3. ईपीआई को 'टीकाकरण पर एक आवश्यक कार्यक्रम' बनाएं ( 1 मई) (GS PAPER I: स्वास्थ्य क्षेत्र)
4. श्रम सांख्यिकी के उपयोग की आवश्यकता (GS PAPER III: उद्योग और श्रम संबंध)
5. प्रतिस्पर्धा, संघर्ष (GS PAPER II: आईआर)
6. स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम ( GS PAPER III: रोजगार)
7. पांच वर्षों में भोजन की लागत 71% बढ़ी, वेतन में केवल 37% की वृद्धि ( GS PAPER III: मुद्रास्फीति)
8. धन के पुनर्वितरण के बारे में ( GS PAPER III: मुद्रास्फीति)
9. मार्च में कोर सेक्टर में 5.2% की गिरावट (GS PAPER III: उद्योग)
10. सेबी बोर्ड ने म्यूचुअल फंड विनियमनों में बदलाव को मंजूरी दी ( नियामक निकाय)

## प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) (GS PAPER II: नियामक प्राधिकरण)

- ईडी भारतीय अर्थव्यवस्था की अखंडता की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करता है।
- इसे राजस्व विभाग से प्रशासनिक सहायता प्राप्त होती है, जबकि नीतिगत मामले आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन आते हैं।
- इसका गठन 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत 'प्रवर्तन इकाई' के रूप में किया गया था।

## प्राथमिक जिम्मेदारियाँ

1. **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए):** ईडी का मुख्य ध्यान धन शोधन अपराधों की जांच और उन पर निर्णय देने पर है। इसमें शामिल हैं:
  - संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच करना
  - अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति जब्त करना
  - अपराधियों पर मुकदमा चलाना
2. **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA):** ED FEMA के नागरिक प्रावधानों को लागू करता है, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करना और भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। जांच में शामिल हैं:
  - विदेशी मुद्रा नियमों और विनियमों का उल्लंघन
  - हवाला लेनदेन (अवैध धन हस्तांतरण)

मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत

# केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सफाई दें : सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा ( GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)

## धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002

- भारत ने अपना कानून बनाने के लिए FATF की सिफारिशों का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) बना।
- पीएमएलए का लक्ष्य मुख्य रूप से मादक पदार्थों से प्राप्त धन का शोधन करना था, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और एफएटीएफ की सिफारिशों पर केन्द्रित था।
- इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में उल्लिखित अपराध शामिल थे।
- पीएमएलए समय के साथ संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ, तथा इसका मूल उद्देश्य मादक पदार्थों के धन शोधन से अलग हो गया।
- निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का लक्ष्य "अपराध आय" का शोधन करना है, जिसमें आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन भी शामिल है।
- अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ बाद में धन शोधन प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों को भी इस कानून के अंतर्गत जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- हालाँकि, अब पीएमएलए की अनुसूची में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो इसके मूल उद्देश्य से परे है, तथा इसमें मादक पदार्थों के धन शोधन से असंबंधित अपराध भी शामिल हैं।
- अपने विस्तारित दायरे के बावजूद, पीएमएलए का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ व्यापार से अवैध धन के शोधन से उत्पन्न महत्वपूर्ण खतरे को संबोधित करना है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता हो सकता है।

## पीएमएलए का अधिनियमन

- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो कानूनों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 253 ऐसे कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय निर्णय की विषय वस्तु तक सीमित करता है, जैसा कि संविधान की संघ सूची के आइटम 13 में निर्दिष्ट है।
- मूल रूप से, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार, पीएमएलए ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया।
- हालाँकि, पीएमएलए में संशोधन ने इसके दायरे का विस्तार किया, जिसमें नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से परे अपराध शामिल हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में सूचीबद्ध या विशेष कानूनों द्वारा कवर किए गए अपराध।
- उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार को संबोधित करना था, को 2009 में पीएमएलए की अनुसूची में जोड़ा गया था।

- पीएमएलए के तहत, आरोपी व्यक्तियों को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वे निर्दोष साबित न हो जाएं, जो एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है।
- पीएमएलए में जमानत प्रावधानों के कारण आरोपी व्यक्तियों के लिए जमानत प्राप्त करना कठिन हो जाता है, क्योंकि न्यायाधीश केवल तभी जमानत दे सकते हैं जब उन्हें आरोपी की निर्दोषता का विश्वास हो, जिसके कारण आरोपी को बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।

## जमानत का प्रावधान

- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के जमानत प्रावधान का वर्तमान भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ है।
- इसे शुरू में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने असंवैधानिक माना था। निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2018) में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।
- खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा। विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रावधान उचित है तथा पीएमएलए अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य धन शोधन से निपटना तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाना है।
- अधिनियम के मूल उद्देश्य के बावजूद, इसमें कम गंभीर अपराधों को भी शामिल किया गया है, तथा इस निर्णय पर विधायी नीति के दायरे में विचार किया गया है।
- 1978 में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण से अलग है।
- न्यायमूर्ति अय्यर ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और जमानत के निर्णयों के संबंध में न्यायिक शक्ति का सावधानीपूर्वक और न्यायिक प्रयोग करने का आग्रह किया।
- खानविलकर तक जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय के रुख का विकास एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है।

## माउंट रुआंग ज्वालामुखी

- स्थान: सांगीहे द्वीप, उत्तर सुलावेसी प्रांत, इंडोनेशिया।



1,200 × 676



## माउंट रुआंग ज्वालामुखी

- **ऊंचाई:** 725 मीटर (2,378 फीट)
- **प्रकार:** स्ट्रेटो ज्वालामुखी (शंकु के आकार का, कठोर लावा, राख और चट्टानों की कई परतों वाला)
- **हाल की गतिविधि:** माउंट रुआंग इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह वर्तमान में लगातार राख उत्सर्जन और कभी-कभी लावा प्रवाह के साथ फट रहा है।
- **प्रभाव:**
  - आसपास के क्षेत्र में ज्वालामुखीय राख के बादलों के कारण हवाई यात्रा में व्यवधान।
  - जब गतिविधि तीव्र हो जाती है तो निकटवर्ती द्वीप समुदायों को समय-समय पर खाली कराया जाता है।
  - शिखर क्रेटर के भीतर लावा गुंबद का निर्माण।
  - ज्वालामुखीय राख के बादल विमानन को प्रभावित कर रहे हैं।

### विस्फोटों का इतिहास

माउंट रुआंग में लगातार विस्फोटों का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रलेखित गतिविधि 1800 के दशक की है, जिसमें हाल के दशकों में महत्वपूर्ण विस्फोट शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **2002:** बड़े विस्फोट के कारण लोगों को निकाला गया।
- **2023-2024:** कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ विस्फोटक अवधि जारी रहेगी, जिससे राख गिरेगी और यात्रा में रुकावटें आएंगी।

## अधिकांश नई मीथेन का उत्पादन जीवाश्म ईंधन ने नहीं, बल्कि सूक्ष्मजीवों ने किया: अध्ययन (1 मई)

- वह पृथ्वी के वायुमंडल के पिछले 50 वर्षों को फिर से बनाने के लिए, लगभग एक सभागार के आकार के सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है।
- चंद्रा की शोध टीम ने 2019 से 2020 तक वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता पर ध्यान केंद्रित किया।
- उन्होंने देखा कि 1990 के दशक तक मीथेन की सांद्रता बढ़ी, कुछ समय के लिए स्थिर हुई, फिर 2007 के आसपास फिर से बढ़ने लगी।

- हाल के अनुमानों से पता चलता है कि वायुमंडलीय मीथेन सांद्रता 300 साल पहले की तुलना में आज तीन गुना अधिक है।
- शोधकर्ता वायुमंडल में इस बढ़ी हुई मीथेन सांद्रता के स्रोत की जांच कर रहे हैं।

## समझ का विकास

- मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड (CO<sub>2</sub>) के बाद दूसरी सबसे अधिक प्रचलित मानव-जनित ग्रीनहाउस गैस है, लेकिन इसका ग्रह पर अधिक गर्माहट पैदा करने वाला प्रभाव है।
- एक शताब्दी से अधिक समय में, मीथेन की वैश्विक तापन क्षमता CO<sub>2</sub> से 28 गुना अधिक है। और दो दशक जैसी छोटी अवधि में तो यह और भी अधिक हो सकता है।
- हाल तक नीति निर्माताओं ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्रयासों में मीथेन उत्सर्जन को प्राथमिकता नहीं दी थी।
- 2021 में, सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में 'वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा' शुरू की मीथेन उत्सर्जन को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना।
- मीथेन उत्सर्जन के बारे में हमारी समझ अभी भी विकसित ही रही है।
- श्री चंद्रा की टीम द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने के बजाय सूक्ष्मजीव वायुमंडल में मीथेन के प्राथमिक स्रोत हैं

## मीथेन के स्रोत

- मीथेन उत्सर्जन विभिन्न स्रोतों से होता है, जिन्हें बायोजेनिक और थर्मोजेनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- थर्मोजेनिक मीथेन तब उत्सर्जित होती है जब प्राकृतिक गैस या तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को पृथ्वी की सतह के अंदर से निकाला जाता है।
- जैवजनित मीथेन सूक्ष्मजीवी गतिविधि से उत्पन्न होती है, विशेष रूप से मीथेनोजेन्स नामक आर्किया से।
- मीथेनोजेन्स ऑक्सीजन रहित वातावरण में पनपते हैं, जैसे पशु पाचन तंत्र, आर्द्रभूमि, चावल के खेत, लैंडफिल, तथा झील और महासागर तलछट।
- मीथेनोजेन्स वैश्विक कार्बन चक्र के भाग के रूप में कार्बनिक पदार्थों को मीथेन में परिवर्तित करते हैं, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है।
- कृषि, डेयरी फार्मिंग और जीवाश्म ईंधन उत्पादन जैसी मानवीय गतिविधियों ने मीथेन उत्सर्जन को प्राकृतिक स्तर से अधिक बढ़ा दिया है।
- बायोजेनिक और थर्मोजेनिक दोनों गतिविधियाँ मीथेन के विभिन्न आइसोटोप का उत्पादन करती हैं।
- इन आइसोटोप को ट्रैक करने से मीथेन उत्सर्जन के स्रोतों और वायुमंडलीय मीथेन स्तरों में उनके सापेक्ष योगदान की पहचान करने में मदद मिलती है।

## सुपरकंप्यूटर से मॉडलिंग

- कार्बन-13 एक प्रमुख संकेतक है जिसका उपयोग जैविक स्रोतों से मीथेन और थर्मोजेनिक स्रोतों से मीथेन के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है।
- जैविक स्रोतों से प्राप्त मीथेन में आमतौर पर थर्मोजेनिक स्रोतों से प्राप्त मीथेन की तुलना में कम कार्बन-13 परमाणु होते हैं।

- कम कार्बन-13 परमाणुओं वाला 1,000 मीथेन अणुओं का एक समूह एक जैविक स्रोत का संकेत देता है, जबकि अधिक कार्बन-13 परमाणु एक थर्मोजेनिक स्रोत का संकेत देते हैं।

## डेटा बेमेल

- मॉडलों से पता चला कि जीवाश्म ईंधन से मीथेन उत्सर्जन 1990 और 2000 के बीच कम हुआ और तब से स्थिर बना हुआ है।
- इसके अलावा, शोध से पता चला कि सूक्ष्मजीव जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक मीथेन उत्पन्न कर रहे थे।

## स्थानीय डेटा की आवश्यकता


- अध्ययन के लेखकों का सुझाव है कि लैटिन अमेरिका में पशुपालन में वृद्धि तथा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अपशिष्ट से होने वाला अधिक उत्सर्जन, मीथेन में वृद्धि के संभावित कारण हो सकते हैं।
- उन्होंने **विश्व भर में आर्द्रभूमियों की संख्या में भी वृद्धि देखी है।**
- **वायुमंडलीय मीथेन में संभावित शीर्ष योगदानकर्ता के रूप में अवायवीय आर्किया सूक्ष्मजीवों की पहचान**, अक्सर उपग्रह डेटा का उपयोग करके की जाती है।
- श्री पात्रा ने मीथेन स्रोतों का सटीक निर्धारण करने के लिए आर्द्रभूमि और चावल के खेतों जैसे विशिष्ट स्थानों पर माप की आवश्यकता पर बल दिया।
- मानवजनित गतिविधियां जैसे **अपशिष्ट और लैंडफिल, चावल के खेत, एंटरिक किण्वन, तेल और गैस, तथा कोयला को मीथेन उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया है।**
- मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए मानवजनित गतिविधियों को नियंत्रित करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

**कंपकंपी से गर्मी पैदा होती है जो आपको गर्म रखती है (1 मई)**

**प्रश्न: ठंड लगने पर हम क्यों कांपते हैं?**

**उत्तर:**

- कंपकंपी एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब **कंकाल की मांसपेशियों का तनाव एक महत्वपूर्ण स्तर से अधिक बढ़ जाता है या जब शरीर का तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है।**
- यह **मांसपेशियों का अनैच्छिक संकुचन है इसका उद्देश्य बुखार के दौरान या ठंडे वातावरण में शरीर का तापमान बनाए रखना है।**
- कंपकंपी में कंकाल की मांसपेशियों के तीव्र, दोलन संकुचन शामिल होते हैं जो प्रति सेकंड 10-20 बार होते हैं।



- प्रारंभ में अनियमित, कंपकंपी वाली हरकतें त्वरित और अनैच्छिक हो जाती हैं, मांसपेशियों के छोटे समूह अतुल्यकालिक रूप से सिकुड़ते हैं।
- कंपकंपी के लिए जिम्मेदार प्राथमिक मोटर केंद्र मस्तिष्क के पीछे के हाइपोथैलेमस क्षेत्र में स्थित होता है।
- जब शरीर का तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो त्वचा से ठंडे संकेत रीढ़ की हड्डी में भेजे जाते हैं, जिन्हें हाइपोथैलेमस द्वारा पकड़ लिया जाता है।
- हाइपोथैलेमस ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कंकाल की मांसपेशियों की गतिविधि को बढ़ाकर प्रतिक्रिया करता है, तथा मोटर न्यूरोन्स को नियंत्रित करने के लिए अवरोही मार्गों के माध्यम से कार्य करता है।
- कंपकंपी से मांसपेशियों की टोन बढ़ती है, गर्मी पैदा होती है और कुछ ही सेकंड में शरीर का तापमान बढ़ जाता है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि कंपकंपी से काफी गर्मी पैदा होती है, प्रति घंटे 42.5 कैलोरी तक, जो कमरे के तापमान पर सामान्य विश्राम चयापचय से लगभग सात गुना अधिक है।
- आराम करने वाले व्यक्तियों में, अधिकांश शारीरिक ऊष्मा वक्षीय और उदर अंगों में चल रही चयापचय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होती है।
- कंपकंपी आमतौर पर पक्षियों और स्तनधारियों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है।

# ईपीआई को 'टीकाकरण पर एक आवश्यक कार्यक्रम' बनाएं (1 मई) (GS PAPER I: स्वास्थ्य क्षेत्र)

## (GS PAPER I: स्वास्थ्य क्षेत्र)

- वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 1974 में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम (ईपीआई) की शुरुआत के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
- ईपीआई की शुरुआत तब की गई थी जब चेचक वायरस का उन्मूलन करीब था, जिसका लक्ष्य विश्व स्तर पर टीके के लाभों का विस्तार करने के लिए मौजूदा टीकाकरण बुनियादी ढांचे का उपयोग करना था।
- ईपीआई घोषणा के बाद दुनिया के लगभग हर देश ने अपना राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया।
- भारत ने 1978 में अपना ईपीआई लॉन्च किया, बाद में 1985 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) कर दिया गया।
- इस वर्ष दो दशक पूरे हो गए हैं जब भारत ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से यूआईपी का अंतिम राष्ट्रव्यापी स्वतंत्र क्षेत्र मूल्यांकन आयोजित किया था।
- यह मील का पत्थर टीकाकरण की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के लिए योजना बनाने का अवसर प्रस्तुत करता है।
- विश्व स्तर पर और भारत में, टीकाकरण प्रभाव और टीके की उपलब्धता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- 1974 में, छह बीमारियों के लिए टीके थे; अब, 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशंसित बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं, विशिष्ट संदर्भों के लिए अनुशंसित 17 अतिरिक्त टीकों के साथ।
- चल रहे शोध का लक्ष्य लगभग 125 रोगजनकों के खिलाफ टीके विकसित करना है, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रचलित बीमारियाँ भी शामिल हैं।

## एक सफलता की कहानी

- पिछले कुछ वर्षों में, वैश्विक टीकाकरण कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लगभग 84% बच्चों को 2022 तक डीपीटी (डिप्थीरिया, पर्तुसिस, टेटनस) टीकों की तीन खुराकें मिलेंगी।
- चेचक का उन्मूलन हो गया है, अधिकांश देशों से पोलियो समाप्त हो गया है, और कई टीके-रोकथाम योग्य बीमारियाँ लगभग गायब हो गई हैं।
- भारत में, टीकाकरण कवरेज लगातार बढ़ रहा है, 2019-21 में 76% बच्चों को अनुशंसित टीके प्राप्त हुए हैं।
- अध्ययनों से पता चला है कि टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम (ईपीआई) के लॉन्च के बाद से टीकों ने लाखों लोगों की जान बचाई है और अरबों लोगों को अस्पताल के दौरे और अस्पताल में भर्ती होने से रोका है।
- आर्थिक रूप से, टीके अत्यधिक लागत प्रभावी हस्तक्षेप हैं, टीकाकरण कार्यक्रमों पर खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर के परिणामस्वरूप सात से 11 गुना रिटर्न मिलता है।
- भारत सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में टीकाकरण कार्यक्रम सफल रहे हैं, अक्सर अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की तुलना में अधिक कवरेज प्राप्त होता है।

- सफलता के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि 2021 में वैश्विक स्तर पर बाल टीकाकरण कवरेज में गिरावट से स्पष्ट है।
- अनुमान है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर 14.3 मिलियन बच्चों को कोई अनुशंसित टीका नहीं मिलेगा, जबकि 6.2 मिलियन बच्चों को केवल आंशिक रूप से टीका लगाया गया।
- यद्यपि भारत में पिछले कुछ वर्षों में टीकाकरण कवरेज में सुधार हुआ है, फिर भी भूगोल, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर कवरेज में असमानताएं अभी भी हैं, जिनमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

## बचपन से लेकर जीवन पथ तक

- 1798 में चेचक के विरुद्ध प्रथम टीका उपलब्ध होने के बाद से, वयस्कों सहित सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए टीके सदैव उपलब्ध रहे हैं।
- प्रारंभिक टीके जैसे रेबीज, हैजा और टाइफाइड आदि मुख्य रूप से वयस्कों के लिए थे, जिससे यह पता चलता है कि टीके सभी आयु समूहों के लिए थे।
- अतीत में बच्चों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि टीके से रोके जा सकने वाले रोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता अधिक होती है तथा टीकों की आपूर्ति और संसाधन सीमित होते हैं।
- बच्चों के लिए टीकाकरण कवरेज में वृद्धि के साथ, वयस्क आबादी में टीका-निवारणीय बीमारियाँ अधिक आम होती जा रही हैं, जिससे वयस्कों और बुजुर्गों के टीकाकरण पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है।
- कई देशों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, सरकारी नीतियों को टीकाकरण कवरेज का विस्तार कर इसमें वयस्कों और बुजुर्गों को भी शामिल करना चाहिए।
- नीतियों में वयस्कों और बुजुर्गों के लिए अनुशंसित टीके सरकारी सुविधाओं पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि टीके अत्यधिक लागत प्रभावी हैं।
- टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) को कवरेज बढ़ाने के लिए वयस्कों और बुजुर्गों के टीकाकरण पर सिफारिशें प्रदान करनी चाहिए।
- टीके के बारे में मिथकों और गलतफहमियों को दूर करना टीके के प्रति झिझक से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सरकार और विश्वसनीय स्रोतों द्वारा सक्रिय संचार और शिक्षा प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञों, पारिवारिक चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों सहित डॉक्टरों के व्यावसायिक संघों को वयस्कों और बुजुर्गों के बीच टीकों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
- किसी भी बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सकों को उन्हें टीकों के बारे में शिक्षित करने का अवसर लेना चाहिए।
- भारत में वयस्क आबादी में बीमारियों के बोझ को समझने के लिए मेडिकल कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों को अध्ययन करना चाहिए।
- राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नए टीकों की शुरुआत से मौजूदा टीकों के कवरेज में वृद्धि देखी गई है, यह सुझाव देते हुए कि वयस्क और बुजुर्ग टीकाकरण का विस्तार बचपन के टीकों के साथ कवरेज में सुधार कर सकता है और टीके की असमानताओं को कम कर सकता है।
- भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके कारण प्रमुख साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक और स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा की आवश्यकता है।

- 2023 के अंत में, भारत ने तपेदिक (टीबी) से निपटने के प्रयासों के तहत वयस्क बीसीजी टीकाकरण की एक पायलट पहल शुरू की।
- कोविड -19 टीकाकरण ने वयस्क टीकाकरण के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ा दी है।
- यह टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए एक उपयुक्त अवसर है, जिसमें शून्य खुराक वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, टीका कवरेज असमानताओं को दूर किया जा सके, तथा वयस्कों और बुजुर्गों को टीके उपलब्ध कराए जा सकें।
- अब समय आ गया है कि विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम (ईपीआई) को 'आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम' बनाया जाए, क्योंकि यह अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है।

## श्रम सांख्यिकी के उपयोग की आवश्यकता (1 मई) (GS PAPER III: उद्योग और श्रम संबंध)

- श्रम संस्थान और औद्योगिक संबंध प्रणाली (आईआरएस-एलएम) बदलते उद्देश्य चर और शामिल एजेंसियों के व्यक्तिपरक अभिविन्यास के कारण निरंतर सुधार के अधीन है।
- आईआरएस-एलएम को प्रभावित करने वाले चर में उत्पाद बाजार, प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश और ट्रेड यूनियन, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल जैसे श्रम संस्थान शामिल हैं।
- मूल मुद्दे और प्रक्रियात्मक पहलू दोनों शामिल हैं।
- भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) जैसे संस्थानों द्वारा सुगम सामाजिक संवाद, आम सहमति बनाने और नीतिगत कार्रवाइयों को सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- हालाँकि, सामाजिक संवाद में अक्सर साक्ष्य-आधारित तर्कों का अभाव होता है, जिसके कारण विश्वसनीय डेटा या अनुभव के बजाय वर्ग-आधारित राय पर आधारित चर्चा होती है।
- आईएलसी की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि यह बिना किसी ठोस परिणाम के केवल एक "बातचीत की दुकान" बन गई है।
- आर्थिक और औद्योगिक आंकड़ों के विपरीत, श्रम सांख्यिकी व्यापक नहीं हैं। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एसआई) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जैसे मौजूदा स्रोत आईआरएस-एलएम पर सीमित जानकारी प्रदान करते हैं।
- श्रम ब्यूरो औद्योगिक संबंधों और श्रम पर आंकड़े उपलब्ध कराता है, लेकिन यह ज्यादातर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए तैयार किया गया प्रशासनिक आंकड़ा होता है।
- कार्य-स्थगन के आंकड़े स्वैच्छिक रूप से एकत्र किए जाते हैं, तथा श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का दायरा पिछले कई वर्षों से काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है।

### सुधार तर्क

- नियोक्ता श्रम निरीक्षण प्रणाली की "इंस्पेक्टर-राज" कहकर आलोचना करते हैं और सुधार का आह्वान करें।
- वे छंटनी या प्रतिष्ठान बंद करने को मंजूरी देने में राज्य सरकारों की अनिच्छा के बारे में शिकायत करते हैं।
- नियोक्ता हड़ताल के अधिकार पर सीमाएं चाहते हैं और गैर-संघ कार्यस्थलों को प्राथमिकता देते हैं।
- कुछ शिक्षाविद और वैश्विक एजेंसियां इन सुधार संबंधी विचारों का समर्थन करती हैं।

- पद्धतिगत कमजोरियों के बावजूद 2004 में बेस्ली और बर्गस (बी एंड बी) जैसे अध्ययनों का हवाला दिया गया है।
- सरकार श्रम कानून सुधारों को लागू करने की मांग करके प्रतिक्रिया देती है।
- ट्रेड यूनियनों ने श्रम निरीक्षण पर प्रासंगिक डेटा एकत्र करने का आग्रह किया।
- निरीक्षकों की संख्या और निरीक्षण कवरेज के बीच विसंगति मौजूद है।

## समापन सुधार

- ट्रेड यूनियनों के पास छंटनी/बंदी के आवेदनों तथा स्वीकृत/अस्वीकृत अनुमतियों के बारे में आंकड़ों का अभाव है।
- महाराष्ट्र को छोड़कर, इन अनुप्रयोगों की जानकारी आमतौर पर प्रकाशित नहीं की जाती है।
- कमांड अर्थव्यवस्था के युग में अनुमति न देना प्रचलित रहा होगा, लेकिन क्या सुधार के बाद के दौर में भी यह आम बात है?
- महाराष्ट्र में 2001-2005 के दौरान छंटनी/बंदी पर किए गए अध्ययन से पता चला कि राज्य अनुमति देने में अधिक उदार था।
- छंटनी/बंदी पर व्यापक आंकड़ों का अभाव सूचित चर्चा और नीतिगत निर्णय में बाधा डालता है।

## हड़तालों पर

- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 कानून के तहत कानूनी हड़ताल करना कठिन बना दिया गया है तथा अवैध हड़ताल के लिए भारी दंड का प्रावधान किया गया है।
- श्रम ब्यूरो के डेटा से पता चलता है कि तालाबंदी अधिक आम है और इसके परिणामस्वरूप सुधार के बाद की अवधि में हड़तालों की तुलना में अधिक कार्यदिवस बर्बाद होते हैं।
- ट्रेड यूनियनों को औद्योगिक संबंध संहिता में हड़तालों पर कठोर प्रावधानों को चुनौती देने के लिए हड़तालों और तालाबंदी के डेटा का उपयोग करना चाहिए।
- ट्रेड यूनियनों के पास स्थापना स्तर पर औद्योगिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़े तैयार करने की क्षमता है।
- NASSCOM जैसे नियोजता संगठन आईटी जैसे उद्योगों पर आँकड़े प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग अक्सर बिना जांच के किया जाता है।
- औद्योगिक संबंधों पर विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए श्रम सांख्यिकी और निरीक्षण पर सम्मेलनों की पुष्टि की है।
- ट्रेड यूनियनों को औद्योगिक संबंधों पर शोध में संलग्न होना चाहिए, शिक्षाविदों के साथ सहयोग करना चाहिए और सुधारों की वकालत करने के लिए अनुभवजन्य अध्ययनों का उपयोग करना चाहिए।
- श्रम सांख्यिकी तैयार करके और अनुसंधान करके, ट्रेड यूनियन भारतीय श्रम सम्मेलन जैसे मंचों पर साक्ष्य-आधारित तर्क प्रस्तुत कर सकती हैं।
- श्रम सांख्यिकी की मांग के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा किए गए ठोस प्रयास से श्रम ब्यूरो जैसी सांख्यिकीय एजेंसियों में सुधार हो सकता है।
- इस मई दिवस पर, ट्रेड यूनियनों को बेहतर श्रम सांख्यिकी और औद्योगिक संबंधों में सुधार की वकालत करने के लिए इन कार्यों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

## मतदान का समय, जेल का समय (1 मई)

## केजरीवाल की लगातार जेल में रहने से चुनाव अभियान पर असर

- आम चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लगातार जेल में रहना नेताओं पर मुकदमा चलाने की राजनीतिक वास्तविकताओं को उजागर करता है।
- यह देखा गया है कि शत्रुतापूर्ण शासन व्यवस्थाएं राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध आरोप लगाती हैं, जबकि सहयोगी देश अक्सर अपने अपराधों को भूल जाते हैं।
- सत्तारूढ़ पार्टी और आरोपों का सामना कर रहे लोगों के बीच संबंध, कथित रूप से स्वतंत्र एजेंसियों की कार्रवाइयों को प्रभावित करते हैं।
- केजरीवाल के मामले में उन पर शराब नीति के लिए रिश्वत लेने का आरोप है, जिसका वे खंडन करते हैं। उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है।
- चुनावों के दौरान राजनेताओं को आपराधिक दायित्व से बचाने के लिए कोई कानून नहीं होने के बावजूद, केजरीवाल को चुनाव अभियान में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है।
- केजरीवाल के खिलाफ मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था, लेकिन सीबीआई और ईडी की जांच अभी भी जारी है।
- गवाहों ने कई बयान दिए हैं, जिससे जांच प्रक्रिया जटिल हो गई है।
- **संदिग्धों को गिरफ्तार करने की शक्ति का उद्देश्य उन्हें न्याय से भागने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या अपराध दोहराने से रोकना है।**
- हालाँकि, अक्सर गिरफ्तारी करने की शक्ति और गिरफ्तारी करने की आवश्यकता के बीच अंतर होता है।
- इस मामले में राजनीतिक नेताओं को स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
- गिरफ्तारी का समय चिंता पैदा करता है, खासकर इसलिए क्योंकि श्री केजरीवाल ने ईडी के कई सम्मनों का जवाब नहीं दिया।
- गिरफ्तारी से पहले आरोपी व्यक्तियों से जांच एजेंसियों के साथ "सहयोग" करने की अपेक्षा करना अजीब लगता है।
- एजेंसियों को केवल अभियुक्त के बयानों पर निर्भर हुए बिना मुकदमा चलाने में सक्षम होना चाहिए।
- **स्वीकार्य बयान दर्ज करने और फिर गिरफ्तारियां करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 का उपयोग किया गया है।**
- इस बारे में सवाल उठते हैं कि क्या समन के जवाब में उपस्थित न होना गिरफ्तारी और जमानत से इनकार को उचित ठहराता है।
- **चुनाव के दौरान सेवारत मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करना और जेल में डालना संघवाद और लोकतंत्र के बारे में चिंता पैदा करता है।**

## प्रतिस्पर्धा, संघर्ष (1 मई) (GS PAPER II: आईआर)

### यू. एस और चीन को अपने मतभेदों को जिम्मेदारी से प्रबंधित करना चाहिए

- अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत चीनी अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत की।
- दोनों देशों का लक्ष्य चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपने संबंधों को स्थिर करना है।
- ब्लिंकन ने अपनी प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में बदलने से रोकने पर जोर दिया।

- शी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के बजाय साझा आधार तलाशने का आग्रह किया।
- रक्षा उद्योग के लिए चीन के समर्थन पर चिंता जताई।
- चीन ने यूक्रेन को अमेरिका की हालिया सैन्य सहायता की आलोचना की और रूस के साथ उसके व्यापार पर आरोपों को निराधार बताया।
- दोनों देशों के बीच गहरी आपसी गलतफहमियां हैं।
- अमेरिका चीन को एक संशोधनवादी शक्ति और एक महत्वपूर्ण तकनीकी और सैन्य चुनौतीकर्ता के रूप में देखता है।
- इसने चीनी वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण और टैरिफ लगाया है, ताइवान का समर्थन किया है और फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत किया है।
- चीन दक्षिण चीन सागर में तनाव के लिए अमेरिका को दोषी मानता है और ताइवान के प्रति उसके समर्थन को हस्तक्षेप मानता है।
- सैन्य संचार, एआई जोखिम प्रबंधन, फेंटेनल नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सहित सहयोग के क्षेत्र हैं।
- शीत युद्ध के सबक प्रतिस्पर्धा को छद्म संघर्षों, आर्थिक युद्धों और राजनयिक संकटों में बदलने से बचने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- दोनों देशों को सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तनाव को रोकने के लिए रेलिंग का निर्माण करना चाहिए और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर समाधान करना चाहिए।

## स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम (1 मई) (GS PAPER III: रोजगार)

- स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम भारत में स्ट्रीट वेंडर आंदोलनों द्वारा दशकों के कानूनी विकास और वकालत के बाद 1 मई 2014 को लागू हुआ।
- इसे एक प्रगतिशील कानून माना गया है, जिसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं के अधिकारों और आजीविका की रक्षा करना है।
- अधिनियम के अधिनियमित होने के बावजूद, अब इसे कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- केवल कानून पारित करने से भारतीय शहरों में सड़क विक्रेताओं की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी नहीं मिलती।
- अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में कमियां रही हैं।

### कानून के प्रावधान

- सड़क विक्रेता किसी भी शहर की आबादी का लगभग 2.5% हिस्सा होते हैं और शहरी जीवन में विविध भूमिकाएं निभाते हैं।
- वे सब्जियां और भोजन बेचने जैसी आवश्यक दैनिक सेवाएं प्रदान करते हैं, तथा प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए एक सतत आय स्रोत प्रदान करते हैं।
- सड़क विक्रेता उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करके शहरी जीवन को किफायती बनाने में योगदान देते हैं।

- वे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, जिनमें मुम्बई में वड़ा पाव और चेन्नई में डोसा जैसे प्रतिष्ठित स्ट्रीट फूड शामिल हैं।
- स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 का उद्देश्य शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग के महत्व को स्वीकार करना था।
- इस कानून का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडिंग को संरक्षित और विनियमित करना है, तथा राज्य स्तरीय नियम बनाना तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा क्रियान्वयन करना है।
- यह विक्रेताओं और सरकार के विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- अधिनियम सभी मौजूदा विक्रेताओं को निर्दिष्ट विक्रय क्षेत्रों में समायोजित करने तथा विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह टाउन वेंडिंग कमेटियों (टीवीसी) के माध्यम से भागीदारीपूर्ण शासन स्थापित करता है, जहां स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों की संख्या 40% होती है।
- टीवीसी में महिला स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 33% प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।
- टीवीसी वेंडिंग जोन में सभी मौजूदा विक्रेताओं को शामिल करना सुनिश्चित करते हैं और न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता वाली शिकायत निवारण समितियों जैसे तंत्रों के माध्यम से शिकायतों का समाधान करते हैं।
- सैद्धांतिक रूप से, यह अधिनियम शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण की मिसाल कायम करता है।

## तीन व्यापक चुनौतियाँ

- **प्रशासनिक चुनौतियाँ:**
  - संरक्षण पर जोर देने के बावजूद उत्पीड़न और बेदखली में वृद्धि।
  - पुरानी नौकरशाही मानसिकता।
  - अधिकारियों और विक्रेताओं में जागरूकता की कमी।
  - विक्रेता प्रतिनिधियों का सीमित प्रभाव।
- **शासन संबंधी चुनौतियाँ:**
  - कमजोर शहरी शासन तंत्र।
  - शहरी शासन ढांचे के साथ एकीकरण का अभाव।
  - यूएलबी में शक्तियों और क्षमताओं का अभाव है।
  - विक्रेता समावेशन से अधिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान दें।
- **सामाजिक चुनौतियाँ:**
  - बहिष्करणीय 'विश्व स्तरीय शहर' छवि।
  - विक्रेताओं का हाशियाकरण और कलंकीकरण।
  - विक्रेताओं को आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में पहचानने में विफलता।
  - शहर के डिज़ाइन और नीतियों में प्रतिबिंबित।

## आगे का रास्ता

- **कार्यान्वयन समर्थन:**

- प्रारंभ में ऊपर से नीचे दिशा की आवश्यकता होती है।
  - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय प्रबंधन प्रदान कर सकता है।
  - प्रभावशीलता के लिए समय के साथ विकेंद्रीकरण।
  - पीएम स्वनिधि एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में कार्य करती है।
- **विकेंद्रीकरण की आवश्यकता:**
    - प्रभावी योजना के लिए यूएलबी को क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है।
    - विभाग-आधारित कार्रवाइयों से टीवीसी-स्तरीय विचार-विमर्श की ओर बढ़ें।
    - स्ट्रीट वेंडिंग को शामिल करने के लिए शहरी योजनाओं, योजना दिशानिर्देशों और नीतियों में संशोधन करें।
  - **नई चुनौतियां:**
    - विक्रेताओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।
    - विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि।
    - ई-कॉमर्स से प्रतिस्पर्धा।
    - आय में कमी।
  - **प्रावधानों का रचनात्मक उपयोग:**
    - अधिनियम के कल्याणकारी प्रावधानों का रचनात्मक उपयोग करें।
    - सड़क विक्रेताओं की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलन।
  - **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:**
    - सड़क विक्रेताओं के लिए उप-घटक को बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की आवश्यकता है।
    - आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन उपायों को सुविधाजनक बनाना।
  - **सीख सीखी:**
    - अंतरिक्ष, शहरी श्रमिकों और शासन की जटिल परस्पर क्रिया।
    - भविष्य के कानून निर्माण और कार्यान्वयन के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है।

**पाँच वर्षों में भोजन की लागत 71% बढ़ी , वेतन केवल 37% (1 मई)**



- महाराष्ट्र में घर पर बनी शाकाहारी थाली की कीमत पांच साल में 71% बढ़ गई।
- औसत मासिक वेतन वृद्धि केवल 37% थी।
- कैजुअल मजदूरों की मजदूरी में 67% की वृद्धि हुई, लेकिन वे पहले ही अपनी मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च कर चुके हैं।
- माना जाता है कि एक औसत भारतीय परिवार आहार संबंधी जरूरतों के लिए प्रति दिन दो थाली खाता है।
- डेटा सीमाओं के कारण मांसाहारी भोजन को बाहर रखा गया।
- डेटा स्थिरता के कारण विश्लेषण के लिए महाराष्ट्र को चुना।
- महाराष्ट्र के श्रमिकों की औसत मजदूरी और वेतन के साथ लागत की तुलना की गई।
- कार्यप्रणाली में अवयवों की पहचान करना, ग्राम मापना, तथा औसत खुदरा लागत का मिलान करना शामिल था।
- तुअर दाल की लागत पांच वर्षों में ₹9.3 से बढ़कर ₹20.1 हो गई।
- 300 ग्राम आलू की कीमत ₹6.8 से बढ़कर ₹8.6 हो गई।
- दो थालियों के लिए सामग्री की लागत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है: इस वर्ष ₹79.2, पिछले वर्ष ₹64.2, तथा 2019 में ₹46.2।
- दो थाली बनाने की कुल मासिक लागत 2019 में ₹1,386 से बढ़कर 2024 में ₹2,377 हो गई।
- महाराष्ट्र में औसत दैनिक मजदूरी 2019 में ₹218 से बढ़कर 2024 में ₹365 हो गई।
- इसी अवधि में महाराष्ट्र में औसत मासिक वेतन ₹17,189 से बढ़कर ₹23,549 हो गया।

- कमाई के सापेक्ष थाली लागत का प्रतिशत: 2019 से 2024 तक आकस्मिक मजदूरों के लिए मामूली वृद्धि (21.1% से 21.7%) और विशेष रूप से नियमित वेतनभोगी श्रमिकों के लिए (8.1% से 10.1%)।
- वेतन और व्यय के बीच असमानता: पिछले पांच वर्षों में थाली बनाने की लागत 71% बढ़ी, जबकि मासिक वेतन केवल 37% बढ़ा। कैजुअल मजदूर पहले से ही अपनी कमाई का 20% से अधिक भोजन पर खर्च कर रहे थे।

## धन के पुनर्वितरण के बारे में (1 मई)

- चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक।
- धन के पुनर्वितरण पर ध्यान दें।
- सुप्रीम कोर्ट ने बनाई नौ जजों की बेंच।
- उद्देश्य: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) की व्याख्या करना।
- विशेष रूप से भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के संबंध में।

### संविधान क्या प्रदान करता है?

- संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की मांग करती है।
- संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है।
- भाग IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) शामिल हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने पर केंद्रित है।
- मौलिक अधिकारों के विपरीत, डी.पी.एस.पी. अदालत में लागू नहीं होता है, लेकिन शासन के लिए महत्वपूर्ण है।
- डी.पी.एस.पी. के अनुच्छेद 39(बी) और (सी) का उद्देश्य सामान्य भलाई के लिए भौतिक संसाधनों का वितरण करके और धन के संकेन्द्रण को रोककर आर्थिक न्याय स्थापित करना है।

### ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?

- प्रारंभ में, संविधान ने अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी और राज्य को अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता दी।
- भूमि सुधार और सार्वजनिक संपत्ति निर्माण के कारण सीमित सरकारी संसाधनों के कारण संपत्ति के अधिकारों पर अंकुश लगाने वाले संशोधन हुए।
- अनुच्छेद 31ए, 31बी और 31सी जैसे संशोधनों ने लोक कल्याण उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया।
- गोलक नाथ (1967), केशवानंद भारती (1973), और मिनर्वा मिल्स (1980) सहित सुप्रीम कोर्ट के मामलों ने मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की व्याख्या की।
- केशवानंद भारती मामले ने अनुच्छेद 31सी को बरकरार रखा लेकिन मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन पर जोर देते हुए इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया।
- 1978 में, 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया, जिससे मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अनुच्छेद 300A के तहत यह एक संवैधानिक अधिकार बन गया।

- निजी संपत्ति के अधिकार महत्वपूर्ण बने हुए हैं, और राज्य अधिग्रहण पर्याप्त मुआवजे के साथ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए।

## मौजूदा बहस क्या है?

- स्वतंत्रता के बाद, भारत ने भूमि अधिग्रहण और बैंकिंग और बीमा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के लिए कानूनों के साथ एक समाजवादी आर्थिक मॉडल का पालन किया।
- 97% तक प्रत्यक्ष कर, संपत्ति शुल्क और संपत्ति कर जैसे उच्च करों का उद्देश्य असमानता को कम करना था लेकिन विकास को अवरुद्ध कर दिया और कर चोरी को बढ़ावा दिया।
- 1990 के दशक में बाजार शक्तियों को सशक्त बनाने और दक्षता में सुधार करने के लिए उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की ओर बदलाव देखा गया।
- सुधारों में एमआरटीपी अधिनियम को निरस्त करना, आयकर दरों को कम करना, तथा 1985 में संपदा शुल्क तथा 2016 में संपत्ति कर को समाप्त करना शामिल था।
- बाजार संचालित अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक विकास और गरीबी में कमी आई, लेकिन असमानता भी बढ़ी, शीर्ष 10% के पास 65% संपत्ति और 57% आय थी।
- कांग्रेस के घोषणापत्र में गरीबों के लिए वित्तीय सहायता और धन वितरण सर्वेक्षण सहित कई उपायों का वादा किया गया है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी ने उत्तराधिकार कर को पुनः लागू करने की संभावना के लिए उनकी आलोचना की है।
- सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या निजी संसाधन भौतिक संसाधनों के संबंध में अनुच्छेद 39(बी) के अंतर्गत आते हैं।

## आगे का रास्ता क्या हो सकता है?

- असमानता केवल भारत में ही नहीं, बल्कि उदारीकृत खुले बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी एक वैश्विक मुद्दा है।
- सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करे जो राज्य के समर्थन पर निर्भर हैं।
- उच्च कर दरों, संपत्ति शुल्क और संपत्ति कर जैसी पिछली नीतियों से वांछित लक्ष्य हासिल नहीं हुए, बल्कि आय और धन को छिपाया गया।
- नवाचार और विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए, लेकिन लाभ सभी वर्गों, विशेषकर हाशिए पर मौजूद लोगों तक पहुंचना चाहिए।
- मौजूदा आर्थिक मॉडल के अनुसार नीतियों पर बहस होनी चाहिए और उन्हें तैयार किया जाना चाहिए।
- जैसा कि संविधान में उल्लिखित है, सर्वोपरि लक्ष्य सभी के लिए आर्थिक न्याय है।

प्रश्न: कोएल्हो मामले में क्या आयोजित किया गया था? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा का महत्वपूर्ण महत्व है? (200 शब्द) (यूपीएससी 2016)

उत्तर दृष्टिकोण:

- मामले की ऐतिहासिक और प्रासंगिक पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का परिचय दें।
- **कोएल्हो मामले** की मुख्य बातें लाएँ।
- **फिर कोएल्हो के आलोक में न्यायिक समीक्षा के महत्व पर आगे चर्चा करें।**
- एक सकारात्मक टिप्पणी के साथ समापन करें।

उत्तर

संविधान की नौवीं अनुसूची को प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 के माध्यम से पेश किया गया था। इसे कुछ कानूनों को इस आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि उन्होंने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। समय के साथ, नौवीं अनुसूची का उपयोग बढ़ती संख्या में कानूनों को न्यायिक समीक्षा से परे रखने के लिए किया गया, जिससे संभावित विधायी अतिरेक के बारे में चिंताएं पैदा हुईं। कोएल्हो मामला, जिसे औपचारिक रूप से आईआर कोएल्हो (मृत) बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) के रूप में जाना जाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने मूल संरचना के सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है।

#### कोएल्हो मामले की प्रमुख बातें:

- **मूल संरचना सिद्धांत:** न्यायालय ने दोहराया कि संविधान की मूल संरचना, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और शक्तियों का पृथक्करण जैसे मौलिक सिद्धांत शामिल हैं, को संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है।
- नौवीं अनुसूची के कानून मूल ढांचे के अधीन: न्यायालय ने माना कि नौवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है।
- **न्यायिक समीक्षा की भूमिका:** न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का एक आवश्यक स्तंभ है। कानून की जांच करने और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की शक्ति न्यायपालिका के पास है।

#### कोएल्हो के प्रकाश में न्यायिक समीक्षा का महत्व:

कोएल्हो मामला भारतीय संविधान की प्रमुख बुनियादी विशेषताओं में से एक के रूप में न्यायिक समीक्षा की एक शक्तिशाली पुष्टि के रूप में कार्य करता है। इसका महत्व निम्नलिखित पहलुओं में निहित है:

- **मौलिक अधिकारों की सुरक्षा:** न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा अधिनियमित कानून नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। यह विधायी शक्ति के संभावित दुरुपयोग के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
- **संवैधानिक सर्वोच्चता की कायम रखना:** न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अदालतों को किसी भी कानून या संशोधन को असंवैधानिक घोषित करने में सक्षम बनाता है यदि यह मूल संरचना का उल्लंघन करता है। यह सरकार के किसी भी अंग की अनियंत्रित शक्ति को रोकता है और शक्ति का नाजुक संतुलन बनाए रखता है।
- **कानून के शासन का संरक्षण:** न्यायिक समीक्षा देश के मौलिक कानून के रूप में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। यह मनमाने और संभावित रूप से अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करता है।
- **अल्पसंख्यकों की सुरक्षा:** न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करके अल्पसंख्यक समूहों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है कि बहुमत द्वारा बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल उनके हितों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

#### प्रतिवाद और सीमाएँ:

- **न्यायिक सक्रियता:** आलोचकों का तर्क है कि न्यायिक समीक्षा से न्यायिक अतिरेक हो सकता है और अनिर्वाचित न्यायाधीश निर्वाचित विधायिकाओं के क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकते हैं।
- **गतिरोध की संभावना:** कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति कभी-कभी न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव का कारण बन सकती है, जिससे नीतिगत पहल में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

इन सीमाओं के बावजूद, कोएल्हो मामले में पुष्टि की गई न्यायिक समीक्षा राज्य द्वारा असंवैधानिक कार्रवाइयों के खिलाफ एक अपरिहार्य ढाल बनी हुई है। यह भारत के संविधान में निहित मूल मूल्यों को सुरक्षित रखने में सहायक है। बुनियादी ढांचे को कायम रखने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करके, न्यायिक समीक्षा भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में कार्य करती है।

# कोर सेक्टर (1 मई)

## कोर सेक्टर

- कोर सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनमें आठ महत्वपूर्ण उद्योग शामिल हैं जो अधिकांश प्रमुख आर्थिक गतिविधियों की नींव के रूप में काम करते हैं।
- इन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और समग्र आर्थिक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

### आठ मुख्य क्षेत्र:

#### 1. कोयला:

- बिजली उत्पादन और औद्योगिक ऊर्जा जरूरतों के लिए प्रमुख ईंधन।
- भारत एक प्रमुख कोयला उत्पादक और उपभोक्ता है।

#### 2. कच्चा तेल:

- पेट्रोल, डीज़ल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का प्राथमिक स्रोत।
- भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा आयात करता है।

#### 3. प्राकृतिक गैस:

- बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन और स्वच्छ ईंधन स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है।
- विस्तारित उपयोग पर जोर देने के साथ, भारत का घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है।

#### 4. रिफाइनरी उत्पाद:

- इसमें पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, एलपीजी और कच्चे तेल से प्राप्त अन्य आवश्यक ईंधन शामिल हैं।
- रिफाइनरियों का उत्पादन सीधे तौर पर ईंधन की कीमतों और औद्योगिक लागतों को प्रभावित करता है।

#### 5. उर्वरक:

- कृषि के लिए महत्वपूर्ण, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और फसल की पैदावार बढ़ाना।
- भारत इस क्षेत्र में घरेलू उत्पादन और आयात दोनों करता है।

#### 6. इस्पात:

- निर्माण, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और भारी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण।
- भारत विश्व के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है।

#### 7. सीमेंट:

- भवन निर्माण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आवास के लिए मौलिक।
- भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है।

#### 8. बिजली:

- उद्योगों से लेकर घरों तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शक्ति प्रदान करता है।
- भारत में बिजली उत्पादन का मिश्रण विविधीकृत हो रहा है, तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

### महत्व:

- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी):** आईआईपी में कोर क्षेत्रों का पर्याप्त भार (लगभग 40%) होता है, जो औद्योगिक उत्पादन का संकेतक है।
- **आर्थिक विकास:** मुख्य क्षेत्रों की वृद्धि और प्रदर्शन समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं।
- **बुनियादी ढाँचा:** वे देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास को रेखांकित करते हैं।

### डेटा और निगरानी:

- **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI):** मुख्य क्षेत्रों के उत्पादन पर मासिक डेटा जारी करता है।

- **आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग:** आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक संकलित करता है।

- भारत के प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में वृद्धि में मंदी देखी गई, जहां मार्च में उत्पादन में 5.2% की वृद्धि हुई, जबकि फरवरी में यह 7.1% थी।
- यह वृद्धि सीमेंट और बिजली के उच्च उत्पादन के कारण हुई, लेकिन उर्वरकों और रिफाइनरी उत्पादों में संकुचन के कारण इसकी भरपाई हो गई।
- पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, मुख्य क्षेत्रों में 7.5% की वृद्धि दर देखी गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 7.8% की तुलना में तीन साल का निचला स्तर है।
- हालांकि, कम से कम 12 वर्षों में यह पहली बार था कि सभी आठ क्षेत्रों में वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें इस्पात और कोयला उत्पादन में दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ-साथ 11 वर्षों की गिरावट के बाद कच्चे तेल के उत्पादन में मामूली वृद्धि भी शामिल थी।
- कोर इंडस्ट्रीज का सूचकांक (आईसीआई), जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का 40% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है, कम से कम साढ़े सात वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, मार्च में इसकी रीडिंग 173.3 दर्ज की गई, जो फरवरी की तुलना में 9.9% की वृद्धि थी।
- जबकि सभी क्षेत्रों में फरवरी की तुलना में उत्पादन में वृद्धि देखी गई, केवल छह क्षेत्रों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई।
- पिछले मार्च की तुलना में उर्वरकों में 1.3% की गिरावट आई है, जो लगातार तीसरे महीने उत्पादन में गिरावट का प्रतीक है, जबकि रिफाइनरी उत्पादों में 0.3% की गिरावट आई है।
- इस्पात उत्पादन में 5.5% की वृद्धि हुई, जो जुलाई 2022 के बाद सबसे धीमी है, जबकि प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन क्रमशः 6.3% और 2% बढ़ा।
- सीमेंट उत्पादन और बिजली उत्पादन क्रमशः 10.6% और 8% की पांच महीने की उच्च वृद्धि दर पर पहुंच गया।
- कोयला उत्पादन में 8.7% की वृद्धि हुई, लेकिन यह पिछले जून के बाद से सबसे धीमी वृद्धि दर है। हालांकि, फरवरी की तुलना में कोयला उत्पादन स्तर 20.7% अधिक था।
- अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि फरवरी में दर्ज की गई 5.7% की वृद्धि के बाद समग्र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मंदी आएगी। मार्च के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 10 मई को जारी होने वाला है।
- रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का अनुमान है कि मार्च 2024 में आईआईपी की वृद्धि दर 3.5-5% के दायरे में रहेगी, क्योंकि लीप वर्ष का प्रभाव कम हो जाएगा।
- वित्त वर्ष 2023-24 में स्टील उत्पादन में सबसे अधिक 12.3% की वृद्धि देखी गई, इसके बाद कोयले में 11.7% की वृद्धि और सीमेंट उत्पादन में 9.1% की वृद्धि हुई। बिजली उत्पादन में 7% की वृद्धि दर्ज की गई, जो तीन वर्षों में सबसे धीमी वृद्धि है, जबकि प्राकृतिक गैस उत्पादन में 6.1% की वृद्धि हुई।
- उर्वरक और रिफाइनरी उत्पादों में भी क्रमशः 3.7% और 3.4% की वृद्धि हुई।

## सेबी बोर्ड ने म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव को मंजूरी दी (1 मई)

## सेबी

- **फुल फॉर्म** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
- संसद के एक अधिनियम, सेबी अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय।
- **मुख्यालय:** मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
- **क्षेत्रीय कार्यालय:** दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद।

### उद्देश्य और अधिदेश:

सेबी भारतीय वित्तीय बाजारों में तीन प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है:

1. **निवेशक सुरक्षा:** निष्पक्ष व्यवहार और पारदर्शिता सुनिश्चित करके प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
2. **बाजार विकास:** प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा देना, नई तकनीकों को अपनाना और दक्षता बढ़ाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना।
3. **विनियमन:** स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, दलालों, मर्चेन्ट बैंकरों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और अन्य बाजार सहभागियों के संचालन को विनियमित करना।

### महत्वपूर्ण कार्यों

- **विनियमन:** विभिन्न बाजार संस्थाओं के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करना।
- **पर्यवेक्षण:** सेबी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों, दलालों और अन्य बाजार मध्यस्थों की निगरानी करना।
- **जांच:** प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ पूछताछ करना और प्रवर्तन कार्रवाई करना।

### शासन संरचना

सेबी का संचालन भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड में वर्तमान में शामिल हैं:

- अध्यक्ष
- वित्त मंत्रालय से दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक से एक सदस्य
- पाँच अन्य सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये गये

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिए नए नियम लागू कर रहा है।
- इन नियमों के तहत एएमसी को संभावित बाजार दुरुपयोग, विशेष रूप से फ्रंट-रनिंग को रोकने के उद्देश्य से एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है।
- सेबी द्वारा हाल ही में देखे गए फ्रंट-रनिंग उदाहरणों ने निर्णय को प्रेरित किया।
- सेबी बोर्ड ने सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
- लक्ष्य एएमसी को एक सरचित संस्थागत तंत्र को लागू करने के लिए बाध्य करके मौजूदा नियामक ढांचे को बढ़ाना है।
- इस तंत्र का उद्देश्य प्रतिभूतियों में फ्रंट-रनिंग और धोखाधड़ी वाले लेनदेन सहित संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान करना और उसे रोकना है।

## निगरानी बढ़ा दी गई है

- सेबी की अपेक्षा है कि संस्थागत तंत्र में निम्नलिखित शामिल हों:
  - उन्नत निगरानी प्रणालियाँ.
  - आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ.
  - वृद्धि प्रक्रियाएँ.

- इसका उद्देश्य विशिष्ट प्रकार के कदाचार, जैसे फ्रंट-रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग, की पहचान करना, निगरानी करना और उनका समाधान करना है।
- फ्रंट-रनिंग में एक ब्रोकर द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार करना शामिल है, जिसे भविष्य के लेनदेन की अंदरूनी जानकारी होती है, जो उस परिसंपत्ति के मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।
- सेबी का लक्ष्य इस तंत्र को लागू करने के लिए एएमसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ाना भी है।
- एएमसी को व्हिसलब्लोअर तंत्र स्थापित करने के लिए अनिवार्य बनाकर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना है।

### प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

<p>प्रश्न 1 : निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है?</p> <p>(ए) पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (बी) ऑटोमोबाइल (सी) स्टील (डी) सीमेंट</p>	<p>उत्तर: (बी) ऑटोमोबाइल</p> <p><b>स्पष्टीकरण:</b> ऑटोमोबाइल उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे आठ मुख्य क्षेत्रों में से एक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। मुख्य क्षेत्र बुनियादी ढांचे की रीढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर विभिन्न अन्य उद्योग निर्भर करते हैं।</p>
<p>प्रश्न 2: आठ कोर उद्योगों के सूचकांक (आईआईसीआई) की गणना का उद्देश्य क्या है?</p> <p>(ए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन को मापने के लिए (बी) औद्योगिक क्षेत्र में मुद्रास्फीति पर नज़र रखना (सी) प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र स्वास्थ्य का आकलन करना (डी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए पात्रता निर्धारित करना</p>	<p>उत्तर: (सी) प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए</p> <p><b>व्याख्या:</b> IICI भारत में औद्योगिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक है। यह आठ प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन स्तरों पर नज़र रखता है, जिससे समग्र आर्थिक प्रदर्शन और औद्योगिक विकास क्षमता के बारे में जानकारी मिलती है।</p>
<p>प्रश्न 3: आईआईसीआई में कोर सेक्टर उद्योगों के भार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कोयले का भार सबसे अधिक है।</li> <li>2. बिजली का महत्व सबसे कम है।</li> </ol> <p>उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?</p> <p>(ए) केवल 1</p>	<p>उत्तर: (डी) न तो 1 और न ही 2</p> <p><b>स्पष्टीकरण:</b> कोई भी कथन पूरी तरह से सही नहीं है। IICI में सापेक्ष भार का एक सामान्य विचार इस प्रकार है: कच्चे तेल और रिफाइनरी उत्पादों का अक्सर महत्वपूर्ण महत्व होता है।</p>

<p>(बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2</p>	<p>बिजली, इस्पात और सीमेंट को आमतौर पर मध्यम महत्व दिया जाता है। उर्वरकों और प्राकृतिक गैस का भार सामान्यतः कम होता है। नोट: सटीक वेटेज को समय-समय पर समायोजित किया जा सकता है।</p>
<p>प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की गणना और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? (ए) वित्त मंत्रालय (बी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (सी) श्रम और रोजगार मंत्रालय (डी) नीति आयोग</p>	<p>उत्तर: (बी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय <b>स्पष्टीकरण:</b> वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के भीतर आर्थिक सलाहकार (OEA) का कार्यालय, मासिक आधार पर IICI को संकलित और जारी करता है।</p>
<p>प्रश्न 5: स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? (ए) 2004 (बी) 2010 (सी) 2014 (डी) 2018</p>	<p>उत्तर: (सी) 2014 <b>स्पष्टीकरण:</b> स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम भारत में स्ट्रीट वेंडरों के अधिकारों को पहचानने और उनकी सुरक्षा के लिए 2014 में अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून था।</p>
<p>प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? (ए) शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडिंग पर रोक लगाएं (बी) स्ट्रीट वेंडरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करें (सी) स्ट्रीट वेंडरों को उनके वेंडिंग स्थान का स्थायी स्वामित्व प्रदान करें (डी) स्ट्रीट वेंडिंग की जगह संगठित खुदरा बिक्री को बढ़ावा देना</p>	<p>उत्तर: (बी) स्ट्रीट वेंडरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करें <b>स्पष्टीकरण:</b> स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम का उद्देश्य विक्रेताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्ट्रीट वेंडिंग को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है।</p>
<p>प्रश्न 7: स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में टाउन वेंडिंग समितियों (टीवीसी) के निर्माण को अनिवार्य करता है।</p>	<p>उत्तर: (सी) 1 और 2 दोनों <b>स्पष्टीकरण:</b> कथन 1 सही है। टीवीसी अधिनियम के तहत स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन के विभिन्न पहलुओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>

<p>2. अधिनियम के तहत पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर बैंक ऋण और अन्य वित्तीय लाभ के लिए पात्र हैं। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?</p> <p>(ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2</p>	<p>कथन 2 सही है. अधिनियम का उद्देश्य पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।</p>
<p>प्रश्न 8: स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत, टाउन वेंडिंग समितियों (टीवीसी) में किसका प्रतिनिधित्व है?</p> <p>1. स्थानीय सरकारी अधिकारी 2. पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि 3. पुलिस प्रतिनिधि</p> <p>(ए) केवल 1 और 2 (बी) केवल 2 और 3 (सी) केवल 1 और 3 (डी) 1, 2, और 3</p>	<p>उत्तर: (डी) 1, 2, और 3 <b>स्पष्टीकरण:</b> स्ट्रीट वेंडिंग से संबंधित मामलों पर संतुलित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए टीवीसी को स्थानीय अधिकारियों, स्ट्रीट विक्रेता संघों, पुलिस और अन्य हितधारकों सहित विविध प्रतिनिधित्व के लिए डिज़ाइन किया गया है।</p>
<p>प्रश्न 9: कंपकंपी एक अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य है:</p> <p>(ए) चरम सीमाओं तक रक्त का प्रवाह बढ़ना (बी) कोर तापमान बनाए रखने के लिए गर्मी उत्पन्न करना (सी) दूसरों को संकट का संकेत देना (डी) शरीर की गर्मी का संरक्षण</p>	<p>उत्तर: (बी) कोर तापमान बनाए रखने के लिए गर्मी उत्पन्न करना <b>स्पष्टीकरण:</b> कंपकंपी एक प्राकृतिक थर्मोरेगुलेटरी तंत्र है। जब शरीर का मुख्य तापमान गिरता है, तो कंपकंपी के रूप में तेजी से मांसपेशियों में संकुचन हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए गर्मी पैदा करने में मदद करता है।</p>
<p>प्रश्न 10: मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडे तापमान पर कंपकंपी की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है?</p> <p>(ए) सेरिबेलम (बी) मेडुला ओब्लिंगेटा (सी) हाइपोथैलेमस (डी) फ्रंटल लोब</p>	<p>उत्तर: (सी) हाइपोथैलेमस <b>स्पष्टीकरण:</b> हाइपोथैलेमस शरीर का थर्मोस्टेट है। यह त्वचा में तापमान सेंसर से संकेत प्राप्त करता है और स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखने के लिए कंपकंपी जैसी प्रतिक्रियाएं शुरू करता है।</p>
<p>प्रश्न 11: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:</p>	<p>उत्तर: (सी) 1 और 2 दोनों <b>स्पष्टीकरण:</b></p>

<p>1. परिवेश का तापमान बहुत कम न होने पर भी कंपकंपी हो सकती है। 2. कंपकंपी कुछ चिकित्सीय स्थितियों का लक्षण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?</p> <p>(ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2</p>	<p>कथन 1 सही है। शरीर के तापमान में अचानक गिरावट से कंपकंपी शुरू हो सकती है, भले ही बाहरी तापमान जमने वाला न हो। बुखार के कारण भी ठंड लगना और कंपकंपी हो सकती है। कथन 2 सही है। कंपकंपी संक्रमण, थायरॉयड समस्याओं और तंत्रिका संबंधी विकारों जैसी बीमारियों का लक्षण हो सकता है।</p>
<p>प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन मानवजनित मीथेन उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है?</p> <p>(ए) कोयला खनन (बी) आर्द्रभूमि अपघटन (सी) कृषि और पशुधन (डी) वनों की कटाई</p>	<p>उत्तर: (सी) कृषि और पशुधन <b>स्पष्टीकरण:</b> जबकि सभी विकल्प मीथेन उत्सर्जन में योगदान करते हैं, कृषि (विशेष रूप से चावल की खेती) और पशुधन उत्सर्जन (पाचन और खाद से) मीथेन के सबसे बड़े मानव-जनित स्रोत हैं।</p>
<p>प्रश्न 13: मीथेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:</p> <p>1. मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। 2. मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय तक वायुमंडल में बनी रहती है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?</p> <p>(ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2</p>	<p>उत्तर : ( सी) 1 और 2 दोनों <b>स्पष्टीकरण:</b> कथन 1 सही है। मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है, विशेष रूप से कम समय के पैमाने पर। कथन 2 सही है। अपने मजबूत वार्मिंग प्रभाव के बावजूद, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की दीर्घकालिक स्थिरता की तुलना में वायुमंडल में अपेक्षाकृत जल्दी विघटित हो जाती है।</p>
<p>प्रश्न 14: गहरे समुद्री तलछट में पाए जाने वाले मीथेन हाइड्रेट्स भविष्य में जलवायु के लिए खतरा पैदा करते हैं क्योंकि:</p> <p>(A) इनमें मीथेन का विशाल भंडार होता है जो तापमान बढ़ने पर उत्सर्जित हो सकता है।</p>	<p>उत्तर: (ए) उनमें मीथेन का एक बड़ा भंडार होता है जो तापमान बढ़ने पर निकल सकता है। <b>व्याख्या:</b> मीथेन हाइड्रेट्स मूलतः बर्फ जैसी संरचनाएं हैं जो मीथेन को फंसाती हैं। जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, ये</p>

<p>(बी) वे समुद्र की अम्लता बढ़ाते हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है।  (सी) वे महासागर की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को कम करते हैं।  (D) वे सूर्य के प्रकाश को समुद्र की गहराई तक पहुंचने से रोकते हैं</p>	<p>हाइड्रेट्स संग्रहित मीथेन को अस्थिर करने और छोड़ने का जोखिम उठाते हैं, जिससे तापमान में और वृद्धि होती है।</p>
<p>प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना मीथेन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है?  (ए) ज्वालामुखी विस्फोट  (बी) आर्द्रभूमि में कार्बनिक पदार्थों का क्षय  (सी) पेड़ों द्वारा प्रकाश संश्लेषण  (डी) रेत के तूफान</p>	<p>उत्तर: ( बी) आर्द्रभूमि में कार्बनिक पदार्थों का क्षय  <b>व्याख्या:</b> आर्द्रभूमियाँ मीथेन का एक प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं। जलयुक्त मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन से वातावरण में मीथेन उत्सर्जित होती है।</p>

Patriotic